

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म०प्र०)

27 FEB 2026

पृष्ठां. क्र० 1749/दो-12-40/2016

उज्जैन, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उज्जैन/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना/बड़नगर की ओर रजिस्ट्रार जिला स्थापना उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक ए/590 दिनांक 25.02.2026 की प्रति के संलग्न सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 3967/21-ब(एक)/2025 दिनांक 26.09.2025 तथा आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञापन क्रमांक डी.टी.ए./2025/88 दिनांक 19.09.2025, इस निर्देश के साथ प्रेषित की सिविल कोर्ट डिपोजिट खातों के चालानों को लेप्स करने की प्रक्रिया के नियमितिकरण के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक

A/590
(तीन-19-4/79)

जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी, 2026

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राज्य के समस्त (म.प्र.)

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
राज्य के समस्त (म.प्र.)

विषय :- सिविल कोर्ट डिपोजिट खातों के चालानों को लेप्स करने की प्रक्रिया के नियमितिकरण के संबंध में।

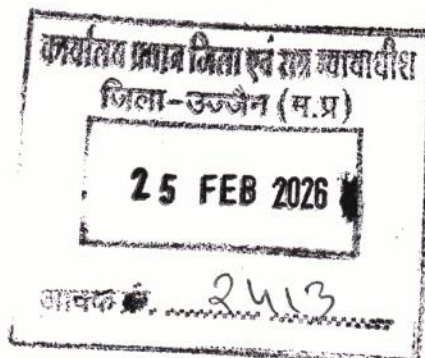
संदर्भ :- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 3967/21-ब(एक)/2025, दिनांक 26.9.2025.

यथानिर्देश, उपरोक्त विषय में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक 3967/21-ब(एक)/2025, दिनांक 26.9.2025 तथा पत्र के साथ संलग्न आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक डी.टी.ए./2025/88, दिनांक 19.9.2025 की छायाप्रतियाँ आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

[Signature]
25/02/26

[मुकेश रावत]
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)



110011
A/
HA
CA
25.02.26



मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3967/21-ब(एक)/2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26-9-2025

✓ रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर.

विषय :- सिविल कोर्ट डिपोजिट खातों के चालानों को लेप्स करने की प्रक्रिया के नियमितीकरण के संबंध में।

-----00-----

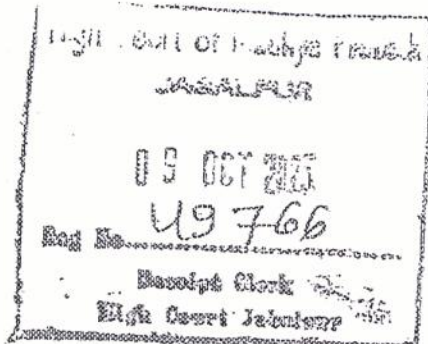
उपरोक्त विषयक कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक/डी.टी.ए/2025/88 दिनांक 19-09-2025 जो कि आपको भी संबोधित है, की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(प्रभारी प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


26.9.25
α (अनिल कुमार पाठक)
सचिव,

म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग



कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन, पंचम तल, खंड-अ, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष:- 0755 - 2677021, ई-मेल - dtamp.boj@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/डी.टी.ए/2025/88

भोपाल, दिनांक 19/09/2025

प्रति,

16

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन विधि विभाग, भोपाल
2. रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
3. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश म.प्र.
4. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम म.प्र. ग्वालियर
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म.प्र.
6. समस्त बरिष्ठ कोषालय अधिकारी म.प्र.

विषय:- सिविल कोर्ट डिपोजिट खातों के चालानों को लेप्स करने की प्रक्रिया के नियमितीकरण के संबंध में।

0000

विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम-345 के अनुसार जब न्यायालय द्वारा व्यपगतों की सूची बनाई जावे, तब व्यपगत राशि को 0075 शीर्ष में अंतरण द्वारा व्यपगत करते हुए सूचना कोषालय अधिकारी को दी जावेगी। किंतु यह दर्शित हुआ है कि न्यायालयों द्वारा सिविल कोर्ट डिपोजिट खातों में जमा राशि को 3 वर्ष बाद व्यपगत (लेप्स) करने की कार्यवाही उनकी भौतिक पंजियों में की जाती है एवं सूचना मात्र महालेखाकार कार्यालय को दी जाती है। उक्त कार्यवाही को न्यायालय द्वारा IFMIS (Integrated financial management information system) अंतर्गत संचालित सिविल कोर्ट डिपोजिट (CCD) खातों में भी नहीं किया जाता है।

21/21a (अ-1)

CR
22700

नियंत्रक.....पृष्ठ 2

जब व्यपगत चालानों (Laps Challans) के विरुद्ध वापसी की कार्यवाही की जाती है, तो न्यायालयों द्वारा शीर्ष 2075 से MPTC Form- 45 पर वापसी के दायकों से भुगतान कर दिया जाता है।

इससे यह हुआ है कि IFMIS अंतर्गत संधारित CCD खातों में वास्तविक बैलेंस से अधिक राशि का बैलेंस दर्शित होने लगा है, जो किसी असावधानी से गंभीर, वित्तीय विसंगति पूर्ण भुगतान का कारण बन सकता है। उपर्युक्त पूरी प्रक्रिया में हो यह राह है कि IFMIS अंतर्गत संधारित CCD खातों से राशि लेप्स नहीं होती है, जबकि बिना राशि को लेप्स किये भुगतान CCD खातों से बाहर जाकर MPTC 45 से शीर्ष 2075 से हो जाते हैं।

अतः रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, समस्त समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश म.प्र., समस्त परिवार न्यायालय, म.प्र. से अनुरोध है कि जिला कोषालयों से सन्वय करते हुए भौतिक पंजियों में लेप्स की गई राशियों को IFMIS अंतर्गत संबंधित CCD खातों में भी लेप्स करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपर्युक्त Updation के उपरांत महालेखाकार म.प्र. में संधारित CCD खातों ब्रॉडशीट से मिलान की कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि सभी CCD खातों का मिलान किया जा सके। भविष्य में CCD खातों के Challan Lapse करने की कार्यवाही भौतिक पंजी के साथ-साथ IFMIS अंतर्गत CCD खातों में समानांतर रूप से किये जाने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।



आयुक्त
कोष एवं लेखा